

(को 15.09.2020 लोक सभा द्वारा

पारित रूप में)

**2020 का विधेयक संख्यांक 111-सी**

[बिल (अमेंडमेंट) दि एसेन्सियल कोमोडिटीज, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

# **विधेयक (संशोधन) वस्तु आवश्यक, 2020**

**अधिनियम वस्तु आवश्यक, 1955 और संशोधन का  
लिए के करने  
विधेयक**

यह **इकहत्तरवें** वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में भारत गणराज्य के अधिनियमित हो :—

1. (1) (संशोधन) आवश्यक वस्तु नाम इस अधिनियम का संक्षिप्त अधिनियम, 2020 है ।

संक्षिप्त नाम  
। और प्रारंभ

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 में उपधारा (1) के अर्थात्, स्थापित की जाएगी: पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत :—

धारा 3 का संशोधन ।

“(1) उपधारा (क) (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(, दाल , अनाज अंतर्गत जिसके पूर्ति की पदार्थों खाद्य ऐसे (क) सरकार केंद्रीय जैसा , हैं तेल और तेलहन खाद्य , प्याज , आलू असाधारण केवल , करे विनिर्दिष्ट द्वारा अधिसूचना में राजपत्र और वृद्धि कीमत असाधारण , अकाल , युद्ध जिसमें में परिस्थितियों ही विनियमित में , आपदा सम्मिलित है प्राकृतिक की प्रकृति गंभीर सकेगा जा किया ;

(स्टॉक की सीमा को अधिरोपित की जाने वाली कोई (ख) कीमत वृद्धि पर आधारित होगी और किसी कृषि उपज के , कार्रवाई स्टॉक को सीमित करने का विनियमन करने वाला कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन जारी किया जा सकेगा यदि—

(i) ; उद्यान उत्पाद के खुदरा मूल्य में शत प्रतिशत वृद्धि या

(ii) नष्ट न होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य वृद्धि पचास प्रतिशत में,

पांच मास के दौरान अभिभावी कीमत पर या पिछले बारह पूर्ववर्ती तुरंत होती है , इनमें से जो भी निम्नतर हो , वर्ष के औसत खुदरा कीमत पर:

परंतु यह कि स्टॉक की सीमा को विनियमित करने वाला ऐसा आदेश किसी कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण या मूल्य श्रृंखला सहभागी को यदि ऐसे व्यक्ति की स्टॉक सीमा प्रसंस्करण की , लागू नहीं होगा प्रतिष्ठापित क्षमता ऊपरी सीमा या किसी निर्यातक की दशा में निर्यात की मांग से अधिक नहीं होती है:

सरकार द्वारा , परंतु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित किए आदेश को लागू नहीं होगी । गए किसी

मूल्य श्रृंखला“ किसी कृषि उत्पाद के संबंध में—**स्पष्टीकरण** से खेत से अंतिम उपभोग तक किसी कृषि उत्पाद के उत्पादन से ”सहभागी , पैकेजिंग , सहभागियों का सेट अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रसंस्करण जहां प्रत्येक प्रक्रम पर उत्पाद , परिवहन और वितरण अंतर्वलित है , भंडारण । के मूल्य में वर्धन किया जाता है ।

निरसन और व्यवृत्तियां ।

3. (1) अध्यादेश (संशोधन) आवश्यक वस्तु, 2020 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

2020 का अध्यादेश सं0 8

(2) उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित , ऐसे निरसन के होते हुए भी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के , अधिनियम दवारा यथा संशोधित अधीन की गई समझी जाएगी ।

1955 का 10